समाक्ष एबी चौधरी और कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राज राहुल गर्ग-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य-उत्तरदाता

2018 का सी डब्ल्यूपी नंबर 6380

14 अगस्त, 2018

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 217,226-उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954-धारा 2 और 16-याचिकाकर्ता ने 11.05.1981 से 31.07.2014 तक अधीनस्थ न्यायिक सेवा में सेवा की-सेवा के दौरान, दिसंबर, 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके नाम की सिफारिश की गई थी-25.09.2014 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और बाद में 04.07.2016 को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले एक स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था-केंद्र सरकार ने प्रतिवादी नंबर 4 को सूचित किया कि चूंकि सेवा में 1 महीने 24 दिनों का ब्रेक था, याचिकाकर्ता पेंशन के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा की अवधि की गणना करने का हकदार नहीं था। — इस तर्क को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति या सेवा की निरंतरता के माध्यम से नहीं थी और वास्तविक सेवा की अवधि दोनों को जोड़ना आवश्यक था ताकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवा की अवधि गुमनामी में न जाए - सेवा में विराम अप्रासंगिक है, इसलिए, 1954 अधिनियम की धारा 16 को लागू करने की आवश्यकता नहीं है-रिट याचिका की अनुमति दी गई है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है यदि वह दस वर्ष की अवधि के लिए न्यायिक पद धारण कर चुका है। दोहराने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 2 (क) द्वारा अनुध्यात श्रेणी से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति या सेवा की निरंतरता के रूप में नहीं है।

अब 1954 के अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा।

1954 के अधिनियम की धारा 2 (1) (छ) और (छ) में इस प्रकार पढ़ा गया हैः-"2 (छ) 'न्यायाधीश' से किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है और इसमें मुख्य न्यायाधीश, 4 (एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक अतिरिक्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का कार्यवाहक न्यायाधीश शामिल है; 5 (छ) 'पेंशन' से किसी न्यायाधीश को या उसके संबंध में जो भी देय हो, किसी भी प्रकार की पेंशन अभिप्रेत है और इसमें मृत्यु या सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में इस प्रकार देय कोई उपदान या अन्य राशि या राशि शामिल है; 2 (छ) 'पेंशन के लिए सेवा' में शामिल है-(i) वास्तविक सेवा; (ii) पूर्ण भत्तों पर छुट्टी की प्रत्येक अवधि के बारे में पैंतालीस दिन या वास्तव में ली गई राशि जो भी कम हो; (iii) भारत से बाहर से लौटने पर शामिल होने का समय;

1954 के अधिनियम की धारा 14 इस प्रकार हैः-"14. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक न्यायाधीश को उसकी सेवानिवृत्ति पर पहली अनुसूची के भाग-I में दिए गए पैमाने और उपबंधों के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाएगाः

बशर्ते कि ऐसी कोई पेंशन किसी न्यायाधीश को तब तक देय नहीं होगी जब तक किः (क) उसने पेंशन के लिए कम से कम बारह वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो;

पहली अनुसूची के भाग-1 की प्रविष्टि 1 इस प्रकार हैः-"1. इस भाग के प्रावधान उस न्यायाधीश पर लागू होते हैं जिसने संघ या राज्य के तहत कोई अन्य पेंशन योग्य पद नहीं संभाला है या एक न्यायाधीश जिसने संघ या राज्य के तहत कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण किया है, इस भाग के तहत देय पेंशन प्राप्त करने के लिए चुना है।

उपर्युक्त प्रविष्टि 1 से यह प्रकट होता है कि पहली अनुसूची के भाग-1 के उपबंध उस न्यायाधीश पर लागू होंगे जिसने कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, पहली अनुसूची का भाग-I उच्च न्यायालय में व्यवसायी अधिवक्ताओं की श्रेणी से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त व्यक्ति पर लागू होता है। हम वर्तमान मामले में उक्त भाग-I से संबंधित नहीं हैं।

पहली अनुसूची के भाग-2 को हटा दिया गया है।

अब पहली अनुसूची के भाग-III पर आते हुए, इसकी प्रविष्टि 1 इस प्रकार हैः -

"1. इस भाग के उपबंध उस न्यायाधीश पर लागू होते हैं जिसने (संघ या राज्य के अधीन पेंशन योग्य पद धारण किया है, लेकिन भारतीय सिविल सेवा का सदस्य नहीं है और जिसने भाग-I के अधीन देय पेंशन प्राप्त करने के लिए नहीं चुना है।

इस प्रविष्टि 1 को पढ़ने से पता चलता है कि यह उस न्यायाधीश पर लागू होता है जिसने कोई भी पेंशन योग्य पद संभाला हो। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भाग-III न्यायाधीश पर याचिकाकर्ता की तरह लागू होगा जो पेंशन योग्य पद पर था।

अब पहली अनुसूची के भाग-III के प्रासंगिक भाग पर आते हुए, हम भाग-III की प्रविष्टि 2 को उद्धृत करते हैं, जो इस प्रकार हैः -

"2. ऐसे न्यायाधीश को देय पेंशन इस प्रकार होगीः (क) वह पेंशन जिसके लिए वह अपनी सेवा के सामान्य नियमों के तहत हकदार है यदि वह न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया था, 2 न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा को उस पेंशन की गणना करने के उद्देश्य से उसमें सेवा के रूप में माना जा रहा है; और (ख) पेंशन के लिए सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष (16,020/- रुपये) की विशेष अतिरिक्त पेंशन। [जोर देने के लिए हमारे द्वारा जोड़ा गया 1 और 2

हमने सरल व्याख्या करने के लिए प्रविष्टि 2 (क) को दो भागों में विभाजित किया है। भाग 1 अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रदान की गई सेवा की गणना से संबंधित है। भाग 2 में कहा गया है कि न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवा को उसमें सेवा के रूप में माना जाएगा (जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय में है। भाग 1 और भाग 2 को सामंजस्यपूर्ण रूप से और संयोजन में पढ़ने से दोनों सेवाओं की अवधि का सम्मिश्रण होना चाहिए। यदि सेवा की दोनों अवधियों का सम्मिश्रण नहीं किया जाता है, तो पेंशन उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी वास्तविक सेवा गुमनामी में चली जाएगी। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा केवल 'वास्तविक सेवा' होगी जैसा कि 1954 के अधिनियम की धारा 2 (1) (एच) में 'पेंशन के लिए सेवा' की परिभाषा द्वारा अनिवार्य है।

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की वास्तविक सेवा 25.09.2014 से 04.07.2016 तक होगी। अब पहली अनुसूची के भाग-III की प्रविष्टि 2 के खंड (ए) के दूसरे भाग को पढ़ने पर हमें जो पता चलता है वह यह है कि जिस पेंशन के लिए याचिकाकर्ता 31.07.2014 तक अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के सदस्य

के रूप में हकदार है, उसे पेंशन के लिए 25.09.2014 से 04.07.2016 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसकी वास्तविक सेवा के साथ जोड़ा/गणना/मिश्रित करना होगा। दूसरे शब्दों में, यह कहने के लिए कि 25.09.2014 से 04.07.2016 तक की अवधि के लिए इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में याचिकाकर्ता की सेवा को याचिकाकर्ता द्वारा 1981 से 31.07.2014 को जिला न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने तक प्रदान की गई सेवा के साथ मिश्रित करना होगा, और तदनुसार, पेंशन की गणना की जाएगी।

यह विवाद में नहीं है और जैसा कि प्रत्यर्थी-भारत संघ के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने निष्पक्ष रूप से कहा है, पहली अनुसूची के भाग-III की प्रविष्टि 2 के खंड (बी) के अनुसार, पेंशन के लिए सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रति वर्ष एक विशेष अतिरिक्त पेंशन भी देय है। हम पाते हैं कि पहली अनुसूची के भाग-III की प्रविष्टि 2 के खंड (क) के अंत में "और" शब्द के सम्मिलन को ध्यान में रखते हुए भारत के विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का ऐसा कहना सही है। हम उक्त निवेदन को स्वीकार करते हैं।

निष्कर्ष निकालने के लिए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि जिसे मिश्रित किया जाना है वह याचिकाकर्ता द्वारा 1981 से 31.07.2014 तक पेंशन के लिए सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवा के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रदान की गई 'वास्तविक सेवा' है और तदनुसार, पेंशन की गणना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की जानी होगी।

(पैरा 9 से 19)

डी एस पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ बी एस पटवालिया याचिकाकर्ता के वकील

प्रत्यर्थी नंबर 1 के लिए केंद्र सरकार के वकील अरुण गोसाईं के साथ भारत के ए जी सत्यपाल जैन।

अमृता सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए अधिवक्ता।

हरमनजीत सिंह जुगैत, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए अधिवक्ता।

ए बी चौधरी, न्यायमूर्ति ,

(1) वर्तमान याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त राज राहुल गर्ग ने पेंशन सहित सभी सेवानिवृत्ति देय/लाभों के लिए अनुरोध करते हुए एक आदेश की रिट मांगी है, जिसके लिए वह 11.05.1981 से 31.07.2014 तक अधीनस्थ न्यायिक सेवा में अपनी सेवा की गणना करके और 25.09.2014 से 04.07.2016 तक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रदान की गई सेवा के साथ 18% पेरेनम ब्याज के साथ हकदार होगी।

तथ्य

(2)याचिकाकर्ता ने वर्ष 1981 में अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवेश किया और 31.07.2014 को जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा से सेवानिवृत्त हुए। इस न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए जिला न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही दिसंबर 2013 में उनके नाम की सिफारिश की गई थी। हालांकि, वह 31.07.2014 को जिला न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुईं, लेकिन इस न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय में नियुक्ति नहीं हुई। लेकिन 25.09.2014, i.e. जिला न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें इस न्यायालय के

न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। वे इस न्यायालय की स्थायी न्यायाधीश बनीं और 62 वर्ष की आयु तक इस पद पर रहीं। वह 04.07.2016 को सेवानिवृत्त हुईं। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रत्यर्थी संख्या 4 को उसकी पेंशन देने के लिए याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश की, जैसा कि इस न्यायालय के न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य है, उसने अनुबंध पी-3 कोली के माध्यम से इस तरह काम किया है। जाहिर है, जिला न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति और 25.09.2014 को इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शामिल होने के बीच 1 महीने और 24 दिनों का अंतर था। पेंशन के लिए उसका मामला तदनुसार तैयार किया गया था और प्रतिवादी संख्या 4 को दिनांक 06.04.2016 के पत्र के माध्यम से भेजा गया था। हालांकि, दिनांक 04.05.2016 के संचार के माध्यम से (अनुलग्नक पी-4, भारत सरकार के अवर सचिव ने प्रत्यर्थी संख्या. 4 को सूचित किया कि जिला न्यायाधीश के रूप में और उसके बाद इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख के बीच 1 महीने और 24 दिनों का अंतराल था, और इसलिए, सेवा में ब्रेक था। सेवा में उक्त अवकाश को माफ नहीं किया जा सकता है या कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1954 (संक्षिप्तता '1954 अधिनियम' के लिए) की धारा 16 का सहारा लेकर सेवा की अवधि को जोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि उक्त प्रावधान केवल तभी लागू होगा जब कुल सेवा में कमी हो। न्याय का एक उदाहरण (सेवानिवृत्त) Sat पॉल बाणगढ़ को उक्त पत्र में इस रुख को पुष्ट करने के लिए भी दिया गया था कि याचिकाकर्ता पेंशन के प्रयोजनों के लिए इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा की अवधि को गिनने का हकदार नहीं होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 04.05.2016 (अनुलग्नक पी-4) के माध्यम से दिए गए पेनम्ब्रा के साथ वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

तर्क

(3)रिट याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डी. एस. पटवालिया ने जोरदार तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के मामले के तथ्यों में 1954 के अधिनियम के प्रावधानों को सही ढंग से लागू नहीं किया है। उनके अनुसार, इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में याचिकाकर्ता की सिफारिश जिला न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति से सात महीने पहले यानी दिसंबर 2013 में की गई थी और इस न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनकी नियुक्ति का वारंट 31.07.2014 को जिला न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति तक लागू नहीं हुआ था। इसमें याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है। तथापि, तथ्य यह है कि उन्हें 25.09.2014 को इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात 04.07.2016 तक इस पद पर कार्य किया। उन्होंने तर्क दिया कि जिला न्यायाधीश के रूप में पहले की सेवा में इसे जोड़कर इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उक्त सेवा को गिनने से इनकार करना गलत और गलत है और 1954 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की गलत व्याख्या पर है। उनके अनुसार, यदि 1954 के अधिनियम की धारा 16 को लागू करके 1 महीने और 24 दिनों का विराम पाया जाता है, तो उसे आसानी से माफ किया जा सकता है या सेवा की उक्त अवधि को याचिकाकर्ता की सेवा में जोड़ा जा सकता है। यह रुख कि 1954 के अधिनियम की धारा 16 केवल कमी के लिए लागू होती है, कानूनी और सही नहीं है। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा की वास्तविक अवधि, जो कि 1 महीने और 24 दिनों की अवधि से अलग है, को याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा की पूरी अवधि से वंचित करने के बजाय जोड़ा जा सकता है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत

किया कि तदनुसार पेंशन नहीं देने का निर्णय रद्द किया जा सकता है और अलग रखा जा सकता है और याचिकाकर्ता ब्याज के साथ दावा की गई राहत का हकदार होगा।

(4) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-भारत संघ के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस आधार पर रिट याचिका का विरोध किया कि 1954 के अधिनियम के कानूनी प्रावधान कहीं भी अधीनस्थ न्यायपालिका में सेवा अवधि के साथ 1 महीने और 24 दिनों की अवधि या उक्त अवधि को जोड़ने की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसा करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, प्रत्यर्थियों को उस अवधि की अनदेखी करना उचित है जिसके लिए याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और प्रत्यर्थियों को अधीनस्थ न्यायपालिका में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए पेंशन देने का अधिकार है। प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभी भी उन्होंने पेंशन लाभ जोड़े हैं, जिन्हें 1954 के अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-III में प्रविष्टि संख्या 2 के उपखंड (बी) के अनुसार जोड़ा जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी-भारत संघ के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त सत पॉल बनगढ़) के मामले में भी इसी तरह की कवायद की गई थी और इसे एक मिसाल के रूप में माना जा सकता है। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 1 महीने और 24 दिनों की सेवा में विराम वास्तव में हुआ है और यह कोई खंडन नहीं है कि याचिकाकर्ता अंततः इसके लिए जिम्मेदार नहीं था, यह प्रक्रिया और प्रक्रिया है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय में नियुक्ति के लिए समय लेती है। फिर भी, तथ्य यह है कि 1 महीने और 24 दिनों का अंतराल है और इसलिए, इस न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा को जोड़ने का प्रश्न उस आशय के किसी प्रावधान के अभाव में उत्पन्न नहीं होगा। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने मद्रास में उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया, न्यायमूर्ति ए के राजन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, 16.06.2017 को निर्णय लिया गया, और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का मामला भी उक्त निर्णय द्वारा कवर किया गया है। नतीजतन, उनके अनुसार, याचिकाकर्ता कानूनी रूप से किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

विचाराधीन

(5) हमने प्रतिद्वंद्वी पक्षों के लिए विद्वान परामर्श को विस्तार से सुना है।

निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैंः- (i) याचिकाकर्ता ने 1981 से 31.07.2014 को जिला न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने तक अधीनस्थ न्यायपालिका में कार्य किया; (ii) वह 25.09.2014 को इस न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय में नियुक्त की गई थी और 04.07.2016 तक सेवा की, जिस तारीख को वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुई।

(6) प्रश्न 25.09.2014 से 04.07.2016 तक की अवधि के लिए इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवा की संगणना/जोड़ के बारे में है, जैसा कि पहले कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायपालिका में पहले से ही प्रदान की गई सेवा के लिए।

(7) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 द्वारा शासित होती है, जो इस प्रकार हैः-"217। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और शर्तें।

(1) उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा

में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् अपने हस्ताक्षर और मुहर के अधीन वारंट द्वारा की जाएगी और [अनुच्छेद 224 में यथा उपबंधित किसी अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के मामले में और किसी अन्य मामले में, जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, पद धारण करेगा।

(2) कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और-(क) कम से कम दस वर्षों तक भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद पर रहा हो; या (ख) कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का उत्तराधिकार में अधिवक्ता रहा हो;

(8) संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 2 (क) के अवलोकन से पता चलता है कि एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसने कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए न्यायिक पद धारण किया हो। याचिकाकर्ता इस श्रेणी में आएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 2 का उपखंड (ख) कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है, जिससे हम संबंधित नहीं हैं।

(9) भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है यदि वह दस वर्ष की अवधि के लिए न्यायिक पद पर रहा है। दोहराने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 2 (क) द्वारा अनुध्यात श्रेणी से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति या सेवा की निरंतरता के रूप में नहीं है।

(10) अब 1954 के अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा।1954 के अधिनियम की धारा 2 (1) (छ) और (छ) में इस प्रकार पढ़ा गया हैः-"2 (छ) 'न्यायाधीश' से किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है और इसमें मुख्य न्यायाधीश, 4 (एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक अतिरिक्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का कार्यवाहक न्यायाधीश शामिल है; 5 (छ) 'पेंशन' से किसी न्यायाधीश को या उसके संबंध में जो भी देय हो, किसी भी प्रकार की पेंशन अभिप्रेत है और इसमें मृत्यु या सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में इस प्रकार देय कोई उपदान या अन्य राशि या राशि शामिल है; 2 (छ) 'पेंशन के लिए सेवा' में शामिल है-(i) वास्तविक सेवा; (ii) पूर्ण भत्तों पर छुट्टी की प्रत्येक अवधि के बारे में पैंतालीस दिन या वास्तव में ली गई राशि जो भी कम हो; (iii) भारत से बाहर से लौटने पर शामिल होने का समय; 1954 के अधिनियम की धारा 14 इस प्रकार हैः-"14. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक न्यायाधीश को उसकी सेवानिवृत्ति पर पहली अनुसूची के भाग-I में दिए गए पैमाने और उपबंधों के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाएगाः

बशर्ते कि ऐसी कोई पेंशन किसी न्यायाधीश को तब तक देय नहीं होगी जब तक किः (क) उसने पेंशन के लिए कम से कम बारह वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो;

पहली अनुसूची के भाग-1 की प्रविष्टि 1 इस प्रकार हैः-"1. इस भाग के प्रावधान उस न्यायाधीश पर लागू होते हैं जिसने संघ या राज्य के तहत कोई अन्य पेंशन योग्य पद नहीं संभाला है या एक न्यायाधीश जिसने संघ या राज्य के तहत कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण किया है, इस भाग के तहत देय पेंशन प्राप्त करने के लिए चुना है।

(11) उपर्युक्त प्रविष्टि 1 से यह प्रकट होता है कि पहली अनुसूची के भाग-1 के उपबंध ऐसे न्यायाधीश पर लागू होंगे जिसने कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, पहली अनुसूची का

भाग-I उच्च न्यायालय में व्यवसायी अधिवक्ताओं की श्रेणी से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त व्यक्ति पर लागू होता है। हम वर्तमान मामले में उक्त भाग-I से संबंधित नहीं हैं।

(12) पहली अनुसूची के भाग-2 को हटा दिया गया है।

(13) अब पहली अनुसूची के भाग-III पर आते हुए, इसकी प्रविष्टि 1 इस प्रकार हैः-"1. इस भाग के उपबंध उस न्यायाधीश पर लागू होते हैं जिसने (संघ या राज्य के अधीन पेंशन योग्य पद धारण किया है, लेकिन भारतीय सिविल सेवा का सदस्य नहीं है और जिसने भाग-I के अधीन देय पेंशन प्राप्त करने के लिए नहीं चुना है।

(14) इस प्रविष्टि 1 को पढ़ने से पता चलता है कि यह उस न्यायाधीश पर लागू होता है जिसने कोई पेंशन योग्य पद धारण किया हो। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भाग-III न्यायाधीश पर याचिकाकर्ता की तरह लागू होगा जो पेंशन योग्य पद पर था।

(15) अब पहली अनुसूची के भाग-III के सुसंगत भाग पर आते हुए, हम भाग-III की प्रविष्टि 2 को उद्धृत करते हैं, जो इस प्रकार हैः-"2. ऐसे न्यायाधीश को देय पेंशन इस प्रकार होगीः (क) वह पेंशन जिसके लिए वह अपनी सेवा के सामान्य नियमों के तहत हकदार है यदि वह न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया था, 2 न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा को उस पेंशन की गणना करने के उद्देश्य से उसमें सेवा के रूप में माना जा रहा है; और (ख) पेंशन के लिए सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष (16,020/- रुपये) की विशेष अतिरिक्त पेंशन।(1 और 2 हमारे द्वारा जोर देने के लिए जोड़े गए)

(16) हमने सरल व्याख्या करने के लिए प्रविष्टि 2 (क) को दो भागों में विभाजित किया है। भाग 1 अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रदान की गई सेवा की गणना से संबंधित है। भाग 2 में कहा गया है कि न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवा को उसमें सेवा के रूप में माना जाएगा (जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय में है)। भाग 1 और भाग 2 को सामंजस्यपूर्ण रूप से और संयोजन में पढ़ने से दोनों सेवाओं की अवधि का सम्मिश्रण होना चाहिए। यदि सेवा की दोनों अवधियों का सम्मिश्रण नहीं किया जाता है, तो पेंशन उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी वास्तविक सेवा गुमनामी में चली जाएगी। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा केवल 'वास्तविक सेवा' होगी जैसा कि 1954 के अधिनियम की धारा 2 (1) (एच) में 'पेंशन के लिए सेवा' की परिभाषा द्वारा अनिवार्य है।

(17) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की वास्तविक सेवा 25.09.2014 से 04.07.2016 तक होगी। अब पहली अनुसूची के भाग-III की प्रविष्टि 2 के खंड (ए) के दूसरे भाग को पढ़ने पर हमें जो पता चलता है वह यह है कि जिस पेंशन के लिए याचिकाकर्ता 31.07.2014 तक अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के सदस्य के रूप में हकदार है, उसे पेंशन के लिए 25.09.2014 से 04.07.2016 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसकी वास्तविक सेवा के साथ जोड़ा/गणना/मिश्रित करना होगा। दूसरे शब्दों में, यह कहने के लिए कि 25.09.2014 से 04.07.2016 तक की अवधि के लिए इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में याचिकाकर्ता की सेवा को याचिकाकर्ता द्वारा 1981 से 31.07.2014 को जिला न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने तक प्रदान की गई सेवा के साथ मिश्रित करना होगा, और तदनुसार, पेंशन की गणना की जाएगी।

(18) यह विवाद में नहीं है और जैसा कि प्रत्यर्थी-भारत संघ के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा निष्पक्ष रूप से कहा गया है, पहली अनुसूची के भाग-III की प्रविष्टि 2 के खंड (बी) के अनुसार, पेंशन के लिए सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रति वर्ष एक विशेष अतिरिक्त पेंशन भी देय है। हम पाते हैं कि पहली अनुसूची के भाग-III की प्रविष्टि 2 के खंड (क) के अंत में "और" शब्द के सम्मिलन

को ध्यान में रखते हुए भारत के विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का ऐसा कहना सही है। हम उक्त निवेदन को स्वीकार करते हैं।

(19) निष्कर्ष निकालने के लिए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि जिसे मिश्रित किया जाना है वह याचिकाकर्ता द्वारा 1981 से 31.07.2014 तक पेंशन के लिए सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवा के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रदान की गई 'वास्तविक सेवा' है और तदनुसार, पेंशन की गणना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की जानी चाहिए।

(20) फिर हम प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई अन्य प्रस्तुतियों की ओर मुड़ते हैं। प्रथम अनुसूची के भाग-III के उपर्युक्त उपबंध की उपर्युक्त तरीके से व्याख्या करने के बाद, हमारा दृढ़ मत है कि यह निवेदन कि 1 माह और 24 दिनों का अंतराल कानूनी फाइलिबस्टर के रूप में कार्य करता है, स्पष्ट रूप से अप्रासंगिकता के दायरे में आता है। 1 महीने और 24 दिनों के अंतराल का अनुमान लगाया गया है और याचिकाकर्ताओं के न्यायाधीश की गलत धारणा की 'वास्तविक सेवा' की गणना नहीं करने के लिए मुद्दा बनाया गया है। उत्तर-क्रम के रूप में, 1954 के अधिनियम की धारा 16 को 1 महीने और 24 दिनों की उक्त अवधि को माफ करने के लिए या सेवा में उक्त अवधि को जोड़ने के लिए लागू करने का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं उठता है। इसका भी कोई लेना-देना नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्य के रूप में दी गई सेवा एक डिब्बे में आती है जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसकी 'वास्तविक सेवा' दूसरे डिब्बे में आती है। और पेंशन के लिए सेवा की गणना करते समय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 'वास्तविक सेवा' का सम्मिश्रण पिछली सेवा के साथ करना होगा। दूसरे शब्दों में, यह केवल 'वास्तविक सेवा' है जिसे सम्मिश्रण के उद्देश्य से सेवा के रूप में माना जाना आवश्यक है। अतः हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में 1954 के अधिनियम की धारा 16 को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(21) न्यायमूर्ति ए. के. राजन के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्रत्यर्थी-भारत संघ के लिए भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया निवेदन (ऊपर, संबंध में, हमें अपील नहीं करता है। उक्त निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। उक्त निर्णय में याचिकाकर्ता चाहता था कि एक अधिवक्ता के रूप में उनकी प्रैक्टिस की दस साल की अवधि को अधीनस्थ न्यायपालिका में उनकी सेवा में भी जोड़ा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उक्त याचिकाकर्ता दोनों श्रेणियों का लाभ चाहता था, अर्थात्, अधीनस्थ न्यायपालिका में उसकी सेवा के साथ-साथ बार में 10 वर्ष की अवधि की गणना। इस प्रकार, याचिकाकर्ता पहली अनुसूची के भाग-I और भाग-III दोनों का एक साथ लाभ प्राप्त करने के लिए दो घोड़ों की सवारी करना चाहता था। भाग-I और भाग-III को जोड़ने के लिए उनके द्वारा किया गया ऐसा दावा पूरी तरह से गलत और गलत था और सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था।

(22) उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि वर्तमान रिट याचिका को सफल होना चाहिए। एक उत्तरकथा के रूप में, निम्नलिखित क्रम अपरिहार्य हैः

आदेश

(i) 2018 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6380 को अनुमति दी गई है;

(ii) प्रतिवादी संख्या 4 याचिकाकर्ता की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 25.09.2014 से 04.07.2016 तक की 'वास्तविक सेवा' को अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीश के रूप में 11.05.1981 से 31.07.2014 तक की सेवा के साथ मिश्रित करेगी और फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तदनुसार पेंशन की गणना करेगी;

(iii) उपरोक्त अभ्यास इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा;

(iv) पेंशन पर ब्याज देने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है;

(v) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा